कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर (राज0)

—:कार्यालय आदेशः—

क्रमांक :— 129 दिनांक :— 03/10/2020

माननीय रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र कमांक 29/PI/2020 दिनांक 01.10.2020 एवं 26/PI/2020 दिनांक 19.09.2020 में दिए गए निर्देशों की पालना में दिनांक 05.10.2020 से 16.10.2020 तक जैसलमेर न्यायक्षेत्र के समस्त विभिन्न न्यायालयों (Subordinate Courts/ Special Courts/ Tribunals) की अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई video conferencing जरिये vidyo/whatsappskype/ Jitsi/tele-conferencing द्वारा करने हेतु निम्न प्रकार व्यवस्था की जाती है:—

क. स.	न्यायालयों के नाम	आदेशित अधिकारी का पदनाम	अवधि	ई—मेल आई.डी.
01.	जिला एव सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर। पारिवारिक न्यायालय, जैसलमेर। अपर जिला एव सेशन न्यायालय, जैसलेमर। विशिष्ट न्यायालय, अनु0जाति व अनु0 जनजाति मामलात न्यायालय, जैसलमेर।	जिला एव सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर।	दिनाक 05.10.2020 से 16.10.2020 तक	dc-jai-rj@nic.in
02.	विशेष न्यायधीश, पोक्सो न्यायालय जैसलेर।	विशेष न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय, जैसलमेर।	दिनांक 05.10.2020 से 16.10.2020 तक	Pocso-jai-rj@hcraj.nic.in
03.	जिला मुख्यालय पर स्थित मजिस्ट्रेट स्तर के न्यायालयों मे अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई हेतु	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।	05.10.2020, 06.10.2020, 09.10.2020, 12.10.2020 व 15.10.2020	cjm-jai-rj@hcraj.nic.in
04.	जिला मुख्यालय पर स्थित मजिस्ट्रेट स्तर के न्यायालयों मे अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई हेतु	न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।	07.10.2020, 08.10.2020 13.10.2020, 14.10.2020 व 16.10.2020	cjjm-jai-rj@hcraj.nic.in
05.	पोकरण मुख्यालय पर स्थित सेशन स्तर के प्रकरणों की सुनवाई हेतु	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पोकरण।	दिनांक 05.10.2020 से 16.10.2020 तक	adjpok-jai-rj@hcraj.nic.in
06.	पोकरण मुख्यालय पर स्थित मजिस्ट्रेट स्तर के न्यायालयों में अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई हेतु	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण।	05.10.2020, 06.10.2020, 09.10.2020, 12.10.2020 व 15.10.2020	acjmpok-jai-rj@hcraj.nic.in
07.	पोकरण मुख्यालय पर स्थित मजिस्ट्रेट स्तर के न्यायालयों मे अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई हेतु	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सांकडा, मुख्यालय— पोकरण।	07.10.2020, 08.10.2020 13.10.2020, 14.10.2020 व 16.10.2020	gnsan-jai-rj-@hcraj.nic.in

1. यह आदेश दिनांक 05.10.2020 से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।
2. जैसलमेर न्यायक्षेत्र के सभी न्यायिक अधिकारियों, विद्वान अधिवक्ताओं एव न्यायिक परिवार के सभी न्यायिक कर्मचारियों से अनुरोध है कि इस वैश्विक कोरोना वायरस Covid -19 के फैलाव की रोकथाम व बचाव हेतु भारत सरकार, राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं समय—समय पर प्राधिकारियों द्वारा दिये गये सभी दिशा—निर्देशो की अक्षरशः पालना करे।

Scanned by CamScanner

3. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र संख्या 26/PI/2020 दिनांक 19.09.2020 मे दिए गए निर्देशों के बिन्दु संख्या 03 की पालना मे अधिवक्तागण/पक्षकारान आवश्यक मामले/प्रार्थना पत्र E-filing portal के जरिये भी प्रेषित कर सकते है।

4. उपर्युक्त न्यायालयों मे मात्र अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 26/PI/2020 दिनांक 19.09.2020 मे दिए गए निर्देशों के अनुसार विडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं वॉयस-कॉल के द्वारा की जा सकेगी तथा अधिवक्तागण/पक्षकारान द्वारा उपर्यकत माध्यम द्वारा की गई फाईलिंग/आवेदन-पत्र व अन्य कार्यवाहियों की हार्डकॉपी उस दिन की तिथि अंकित करते हुये संबधित न्यायालय मे दिनांक 16.10.2020 के पश्चात् पेश करनी होगी, तभी वह मान्य होगी।

5. समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र संख्या 26/PI/2020 दिनांक 19.09.2020 की पालना मे अपने-अपने न्यायालय की दिनांक 05.10.2020 से 16.10.2020 तक की आगामी पेशियां नियत करने का आदेश जारी कर अपने अधीनस्थ कार्यरत किसी कर्मचारी को आदेशित करे कि दिनांक 05.10.2020 को ही दिनांक 16.10.2020 तक की समस्त पेशिया सी.आई.एस. पर अपडेट करने की व्यवस्था करावें तथा आगामी पेशियों के आदेश की एक प्रति दिनांक 05.10.2020 को ही मोबाईल नंबर 9667069867 पर वॉट्सएप पर अपडेट की जा सके।

6. समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि 438, 439 द.प्र.स. के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों से संबधित अधीनस्थ न्यायालयो की पत्रावलियां संबधित न्यायालयों द्वारा तलब करने पर उक्त न्यायालय मे भिजवाये जाने हेतु अपने-अपने न्यायालयों के एक मंत्रालयिक कर्मचारी को आवश्यक रूप से पावन्द करे।

7. इस कार्यालय के आदेश संख्या 28 दिनाक 18.03.2020 द्वारा गठित कमेटी को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 05.10.2020 से 16.10.2020 तक की अवधि मे खुले प्रत्येक न्यायालयो में आवश्यक मास्क, सेनेटाईजर एवं अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें।

8. दिनांक 05.10.2020 से 16.10.2020 तक जिस दिवस को जिस न्यायालय की ड्यूटी लगाई गई है, वे उक्त लिखित मोबाईल इन्स्ट्रुमेन्ट जिला न्यायालय की कम्प्युटर शाखा से प्राप्त करेंगे एवं उसी दिन सांय 05:00 बजे पुनः कम्प्यटर शाखा मे जमा करावायेंगे तथा प्रतिदिन पेश होने वाले आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों की सूचना पूर्व में दिये गये निर्धारित प्रारूप में कम्प्युटर शाखा मे प्रेषित करें।

9. समस्त न्यायालयो के पीठासीन अधिकारियों द्वारा मात्र उन कार्मिको को ही ड्यूटी हेतु पावन्द किया जावे, जिनकी आवश्यकता हो तथा कार्मिकों को यह निर्देशित किया जावे कि वे कार्यालय मे अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर उचित दूरी बनाकर बैठे। शेष कार्मिक अपने घर पर कार्यालय समय में बुलाये जाने पर उपलब्ध रहेंगे एवं कोई भी अधिकारी/कार्मिक बगैर पूर्वानुमति के मुख्यालय परित्याग नहीं करेगा।

10. अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई हेतु रोटेशनल आधार पर ड्यूटी वाले न्यायालय में उस न्यायालय में कार्यरत आशुलिपिक के अतिरिक्त उस न्यायालय के लिंक न्यायालय का आशुलिपिक भी ड्यूटी हेतु उपस्थित रहेगा।

8. अन्य जानकारी के लिए इस कार्यालय की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/jaisalmer एवं ई-मेल आईडी dc-jai-rj@nic.in है।

sd

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जैसलमेर।

Scanned by CamScanner

क्रमांक : स्था. / 2020 / 2396 दिनांक : 03-10-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित / प्रदत्त कर लेख है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र 29 / PI / 2020 दिनांक 01.10.2020 की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें :-

1. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, जैसलमेर।
2. विशेष न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय, जैसलमेर।
3. विशिष्ठ न्यायाधीश, एससी / एसटी प्रकरण न्यायालय, जैसलमेर।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर / पोकरण।
5. मुख्य न्यायिक मजि0, जैसलमेर।
6. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि0, पोकरण।
7. प्रिंसिपल मजि0, किशोर न्याय बोर्ड, जैसलमेर।
8. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि0, जैसलमेर।
9. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सांकडा, मुख्यालय-पोकरण।
10. जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर को विभिन्न न्यायालयों द्वारा जारी दिनांक 16.10.2020 तक की तामीलें अदम तामील पुनः संबंधित न्यायालयों में प्रेषित करने हेतु अधीनस्थ संबंधित पुलिस थाना को निर्देशित करें।
11. उप-अधीक्षक, जिला कारागृह, जैसलमेर को प्रेषित कर लेख है कि आवश्यक प्रकृति के मामलों में विचाराधीन बन्दियों को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश करने की व्यवस्था करें।
12. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, जैसलमेर / पोकरण।
13. सिस्टम ऑफिसर, न्यायालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रीडर ग्रेड-I, न्यायालय हाजा।
15. नोटिस बोर्ड, न्यायालय हाजा।
16. कार्यालय प्रति।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जैसलमेर।

Scanned by CamScanner